न्यायालय सहायक आयुक्त उपनिवेशन (प्रथम) बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– साँवरमल रैगर आर.ए.एस.

वाद संख्या :– 20/2019

1. जीवराजसिंह पुत्र सूरतसिंह जाति राजपूत निवासी रणधीसर तहसील श्री कोलायत जिला बीकानेर
–––––वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये उपनिवेशन तहसीलदार गजनेर मुकाम कोलायत

–––––प्रतिवादी

अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 एवं धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 ।

उपस्थिति :–

1. श्री रामचन्द्रसिंह भाटी वकील वादी
2. राजपैरोकार जरिए उपनिवेशन तहसीलदार गजनेर

– : निर्णय :–

दिनांक :– 06.06.2024

1. वादी ने एक वाद पत्र इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम रणधीसर में खसरा नंबर 172/1/1 मीन में 40 बीघा भूमि वादी की खातेदारी भूमि है जिस पर वादी का कब्जा काश्त निरंतर चला आ रहा है तथा तमाम राजस्व रिकार्ड में उपरोक्त भूमि वादी के नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है। गाम रणधीसर की भूमि चकबंदी में आने पर वादी की भूमि खसरा नंबर 172/1/1 मीन की 40 बीघा भूमि वादी के कब्जा काश्त अनुसार चक 5 एसजेडीए में मु0नं0 175/2/14 में कि0नं0 1ता15, 17ता24 में 23 बीघा, मु0नं0 175/2/15 में कि0नं0 2,3 में 2 बीघा, मु0नं0 175/2/10 में कि0नं0 6,15,16,25 में 4 बीघा, मु0नं0 175/4/2 में कि0नं0 2ता4, 9ता11 में 6 बीघा, मु0नं0 175/4/1 के कि0नं0 16,17,24,25 में 4 बीघा व मु0नं0 175/4/5 के कि0नं0 21 में 1 बीघा कुल 40 बीघा भूमि में पैमूद हुई है जिस पर वादी का कब्जा काश्त निरंतर चला आ रहा है। वादी की भूमि चकबंदी में आने पर हल्का पटवारी ने अपनी मनमर्जी से वादी के कब्जा काश्त की जांच किये बगैर ही वादी के कब्जा काश्त की पूरी भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं की और कुछ भूमि जो वादी के कब्जा काश्त में नहीं है, दर्ज कर दी। हल्का पटवारी ने वादी के नाम चक 5 एसजेडीए में मु0नं0 175/2/14 में कि0नं0 1ता15, 17ता24 में 23 बीघा, मु0नं0 175/2/10 में कि0नं0 6,15,16,25 में 4 बीघा, मु0नं0 175/2/15 में कि0नं0 1ता4, 8,9 में 6 बीघा, मु0नं0 175/4/2 के कि0नं0 2ता5, 9ता11 में 7 बीघा भूमि दर्ज की है जो कानूनन गलत होने से दुरूस्त किये जाने योग्य है।
2. वादी की भूमि ग्राम रणधीसर के ख0नं0 172/1/1 मीन तादादी 40 बीघा भूमि की चकबंदी उपरांत की गई मुरब्बाबंदी एवं किलाबंदी को दुरूस्त किया जाकर वादी के नाम चक 5 एसजेडीए में मु0नं0 175/2/14 में कि0नं0 1ता15, 17ता24 में 23 बीघा, मु0नं0 175/2/15 में कि0नं0 2,3 में 2 बीघा, मु0नं0 175/2/10 में कि0नं0 6,15,16,25 में 4 बीघा, मु0नं0 175/4/2 में कि0नं0 2ता4, 9ता11 में 6 बीघा, मु0नं0 175/4/1 के कि0नं0 16,17,24,25 में 4 बीघा व मु0नं0 175/4/5 के कि0नं0 21 में 1 बीघा कुल 40 बीघा भूमि की दुरूस्ती की जाकर वादी के नाम से मु0नं0 175/2/15 के कि0नं0 1,4,8,9

(साँवरमल रैगर)
सहायक आयुक्त उपनिवेशन
बीकानेर मु. कोलायत

16, 23 में 4 बीघा, मुरब्बा नंबर 175/4/2 में किला नंबर 2 ता 4, 9

में 4 बीघा कुल 5 बीघा भूमि राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम हटाया जाकर राजकीय भूमि दर्ज करने एवं मु0नं0 175/4/5 में कि0नं0 21 में 1 बीघा, मु0नं0 175/4/1 के कि0नं0 16,17,17,24 में 4 बीघा कुल 5 बीघा भूमि वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने का निवेदन किया है।

3. सर्वप्रथम वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये रजिस्टर्ड सम्मन तलब किया गया जिस पर प्रतिवादी राजपैरोकार का जवाब प्राप्त हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया। वादी के विद्वान वकील द्वारा लिखित बहस की गई जो शामिल पत्रावली है।

4. वादी की लिखित बहस के अनुसार वादी के नाम ग्राम रणधीसर के खं0नं0 172/1/1 मीन में चक 5 एसजेडीए के मु0नं0 175/2/14 के कि0नं0 1ता15, 17ता24 में 23 बीघा, मु0नं0 175/2/15 में कि0नं0 1ता4,8,9 में 6 बीघा, मु0नं0 175/2/10 में कि0नं0 6,15,16,25 में 4 बीघा, मु0नं0 175/4/2 में कि0नं0 2ता4, 8ता11 में 7 बीघा, कुल 40 बीघा कमाण्ड भूमि पर पैमूद हुआ एवं कब्जा काश्त के अनुसार चक 5 एसजेडीए के मु0नं0 175/2/14 के कि0नं0 1ता15, 17ता24 में 23 बीघा, मु0नं0 175/1/1 के कि0नं0 16,17,24,25 में 4 बीघा, मु0नं0 175/2/15 के कि0नं0 1ता4, मु0नं0 175/4/2 के कि0नं0 1ता5, 8ता11 में 9 बीघा भूमि कुल 40 बीघा भूमि है।

5. वादी के वकील ने वादपत्र के सलंग्न पटवारी हल्का रणधीसर द्वारा जारी ग्राम रणधीसर की खसरा गिरदावरी सवंत 2077 की नकल, नक्शा, मौका नक्शा, फर्द मौका की नकल पेश की जो वाद पत्रावली में सलंग्न है।

6. अतः वादी के वाद पत्र का अवलोकन किया एवं वादी वकील की लिखित बहस, राजपैरोकार के जवाब एवं वाद के संलग्न दस्तावेजों का मनन किया जिससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ग्राम रणधीसर के ख0नं0 172 में वादीगण की भूमि थी एवं वादी ख0नं0 172 में ही काबिज था परंतु तरमीम करते समय वादी की कब्जा काश्त की भूमि पर तरमीम नहीं कर वादी के कब्जे से बाहर तरमीम कर दी। उक्त गलत तरमीम के अनुसार ही सीएडी चक प्लान प्राप्त होने पर उक्त चकों भूमि का चकों में पैमूद कर दिया जबकि वादी का कब्जा काश्त ख.नं. 172 में ही था। बरवक्त तरमीम मौके पर वादी के कब्जा का ज्ञान कर तरमीम की जानी थी जो नहीं की गई है। अतः ग्राम रणधीसर के खं0नं0 172/1/1 मीन में चक 5 एसजेडीए के मु0नं0 175/2/14 के कि0नं0 1ता15, 17ता24 में 23 बीघा, मु0नं0 175/2/15 में कि0नं0 1ता4,8,9 में 6 बीघा, मु0नं0 175/2/10 में कि0नं0 6,15,16,25 में 4 बीघा, मु0नं0 175/4/2 में कि0नं0 2ता4, 8ता11 में 7 बीघा, कुल 40 बीघा कमाण्ड भूमि की तरमीम को निरस्त किया जाता है एवं वादी के मौका कब्जा अनुसार चक 5 एसजेडीए के मु0नं0 175/2/14 के कि0नं0 1ता15, 17ता24 में 23 बीघा, मु0नं0 175/1/1 के कि0नं0 16,17,24,25 में 4 बीघा, मु0नं0 175/2/15 के कि0नं0 1ता4, मु0नं0 175/4/2 के कि0नं0 1ता5, 8ता11 में 9 बीघा भूमि कुल 40 बीघा भूमि का अभिलेख में अंकन करने एवं तरमीम करने के आदेश दिए जाते हैं। निर्णय की प्रति पालना के लिए उपनिवेशन तहसीलदार गजनेर मु0 कोलायत को भिजवाई जावे।

7. पत्रावली तद्नुसार फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांकः— 06.06.2024 सरे इजलास सुनाया गया।

(साँवरमल रैगर)
आर.ए.एस.
सहायक आयुक्त उपनिवेशन
(प्रथम), बीकानेर मु0 कोलायत